5091/Eu
16/02/19

समाहरणालय, बक्सर
(जिला शस्त्र शाखा)

Phone:- 06183-222336(O), 222335(R)
Fax:- 06183-226935(O),222331(R)
E-mail ID:- dm-buxar.bih@nic.in
E-mail ID:- dam.buxar2016@gmail.com

आदेश

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बक्सर जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयो के धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन के लिए नवम्बर 2018 में सभी थाना पर दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। जिन शस्त्र धारकों द्वारा थाना पर शस्त्र का सत्यापन नही कराया गया था, उन्हें पुनः दिसम्बर 2018 मे संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। दो चरणों के शस्त्र सत्यापन कार्यक्रम के पश्चात अभी भी शत प्रतिशत शस्त्र का सत्यापन सम्पन्न नही हो सका है।

आसन्न लोक सभा निर्वाचन 2019 स्वच्छ, निष्पक्ष, एवं भयमुक्त सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्रों का शत प्रतिशत सत्यापन अत्यावश्यक है। अतः जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयों के शस्त्र सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुये संबंधित थाना पर शस्त्र सत्यापन का कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

क्र0	थाना का नाम	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी	निरीक्षण की तिथि
1	बक्सर मुफस्सिल	अंचलाधिकारी, चौसा	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
2	बक्सर औ0	अंचलाधिकारी, बक्सर	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
3	बक्सर नगर	प्रखण्ड विकास पदा0, बक्सर	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
4	धनसोई	अंचलाधिकारी, राजपुर	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
5	राजपुर	प्रखण्ड विकास पदा0, राजपुर	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
6	ईटाढी	अंचलाधिकरी, ईटाढी	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
7	ब्रह्मपुर	अंचलाधिकारी, ब्रह्मपुर	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
8	बगेन गोला	प्रखण्ड विकास पदा0, ब्रह्मपुर	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
9	सिमरी	अंचलाधिकारी, सिमरी	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
10	डुमराँव	अंचलाधिकारी, डुमराँव	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
11	कृष्णाब्रह्म	अंचलाधिकारी, चक्की	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
12	कोरानसराय	अंचलाधिकारी, केसठ	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
13	नावानगर	अंचलाधिकारी, नावानगर	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
14	सिकरौल	प्रखण्ड विकास पदा0, डुमराँव	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
15	मुरार	अंचलाधिकारी, चौगाई	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019
16	नैनीजोर	प्रखण्ड विकास पदा0, चक्की	20.02.2019, 01.03.2019, एवं 02.03.2019

उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वा0 11 बजे से अपराह्न 04 बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष में क्रय किये गये कारतूस का अनुज्ञप्ति पुस्तिका से सत्यापन कर संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शस्त्र सत्यापन उपरांत जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0 आर0 नं0 अंकित करेंगें तथा दो दिनों के अदर सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

इस जिला में संधारित शस्त्र पंजी में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाना को पूर्व से उपलब्ध करायी जा चुकी है। सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति द्वारा यदि शस्त्र धारण किया जाता हो और उसकी प्रविष्टि संलग्न सूची मे नही हो तो वैसे अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में भी संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सत्यापन प्रतिवेदन में यह अंकित किया जायेगा कि संबंधित का नाम संलग्न सूची एवं थाना अभिलेख में नही है। साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

अनुज्ञप्तिधारी धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगें। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत् अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

16/02/19

राघवेन्द्र सिंह, (भा0प्र0से0)
जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 09-0068 /श0, दिनांक 16/02/19

प्रतिलिपिः— सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला को निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति पुस्तिका एवं अनुज्ञप्ति शस्त्र के साथ निर्धारित तिथि को थाना पर उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सूचना प्रसारित करेंगे।

प्रतिलिपिः— पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्ष को अपने स्तर से आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः— प्रभारी बेतार संवाद, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि शस्त्र निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि की सूचना सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला को वेतार संवाद द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि की सूचना सभी स्थानीय समाचार पत्रों में तीन दिनों तक प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, बक्सर को सूचनार्थ। निदेशित किया जाता है कि शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि की सूचना/उक्त आदेश एन0 आई0 सी0 बक्सर के वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

राघवेन्द्र सिंह, (भा0प्र0से0)
जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 04-0068 /श0, दिनांक 16/02/19

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

राघवेन्द्र सिंह, (भा0प्र0से0)
जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर

शस्त्र सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र :–

क्र0	नाम	पिता का नाम/पता	थाना	अनुज्ञप्ति सं0	वर्ष	अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले पदा0 का नाम	शस्त्र सं0	कारतुस क्रय की क्षमता		श हि
								अधिकतम एक समय में	अधिकतम पूरे वर्ष में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

अनुज्ञप्ति का वैद्य क्षेत्र	प्रतिधारक का नाम/पता	अनुज्ञप्ति की वैद्यता/नवीकरण	शस्त्र सत्यान का वर्ष	पंजी का नाम	पंजी सं0
12	13	14	15	16	17